उत्तराखण्ड विकेन्द्रीकृत जलागम विकास परियोजना फेज-२ (P131235) की प्रकटीकरण कार्यशाला

दिनांक १०-१०-२०१३

स्थान :

होटल देवाशीष, नैनीताल रोड, हल्द्वानी (कुमायूँ)

गंगा रिजार्ट, मुनिकीरेती (गढ़वाल)

परियोजना का उद्देष्य

उत्तराखण्ड राज्य के चयनित सूक्ष्म जलागम क्षेत्रों में ग्राम समुदायों की सहभागिता के माध्यम से प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग की दक्षता तथा बारानी कृषि की उत्पादकता में वृद्धि करनां

परियोजना का सूक्ष्म विवरण

- परियोजना क्षेत्र : ग्राम्या–1 क्षेत्र के निकटस्थ मध्य हिमालय में स्थित 82 सूक्ष्म जलागम, जिनमें 2.638 लाख है0 का क्षेत्रफल आच्छादित हैं

- उत्तराखण्ड विकेन्द्रीकृत जलागम विकास परियोजना (ग्राम्या फेज–1) की उपलब्धियों विशेषतः कृषि व्यवसाय क्षेत्र में प्राप्त उपलब्धियों को सृदृढ़ करने हेतु फेज–1 के क्षेत्रों में कार्य

- परियोजना अवधि में 509 ग्राम पंचायतों के अंतर्गत सम्मिलित 1066 राजस्व ग्रामों में स्थित 59300 परिवारों की 3.18 लाख जनसंख्या को लाभान्वित करनां

उत्तराखण्ड विकेन्द्रीकृत जलागम विकास परियोजना (फेज–2) के अंतर्गत चयनित क्षेत्र का विवरण

जनपद का नाम	विकासखण्ड का नाम	सूक्ष्म जलागम क्षेत्रों की संख्या	क्षेत्रफल (है0)	वनों के अंतर्गत क्षेत्रफल (है0)	कृषि क्षेत्र (है0)	परती क्षेत्र (है0)	ग्राम पंचायत		राजस्व ग्राम	
							संख्या	क्षेत्रफल (है0)	संख्या	क्षेत्रफल (है0)
अल्मोड़ा	धौलादेवी, भैंसियाछीना	9	28396	14987	12303	1106	**85**	24340.64	186	23835.00
उत्तरकाशी	मोरी, नौगांव, पुरोला	17	45103	31233	9727	4143	67	10268.67	119	10012.56
देहरादून	कालसी, चकराता	9	29242	8778	8270	12194	49	23012.69	74	21925.85
टिहरी	जौनपुर	13	31730	11977	8306	11447	72	18641.86	151	18553.44
रूद्रप्रयाग	उखीमठ, जखोली, अगस्त्यमुनि	6	19201	11609	7449	143	65	8572.05	119	8429.67
पिथौरागढ़	मुनस्यारी, डीडीहाट, बेरीनाग	9	25739	17206	6350	2383	59	22069.89	137	20568.19
बागेश्वर	कपकोट	11	55296	35666	6672	12920	48	33328.47	82	33964.28
पौड़ी	पोखड़ा, एकेश्वर	7	26713	9373	10980	6360	57	10549.00	185	10451.14
देहरादून	रायपुर	1	2417	1365	789	95	7	2232.85	13	2232.85
	18	**82**	**263837**	**142194**	**70846**	**50791**	**509**	**153016.11**	**1066**	**149972.984**

उत्तराखण्ड विकेन्द्रीकृत जलागम विकास परियोजना फेज–2 के अन्तर्गत प्रस्तावित क्षेत्र

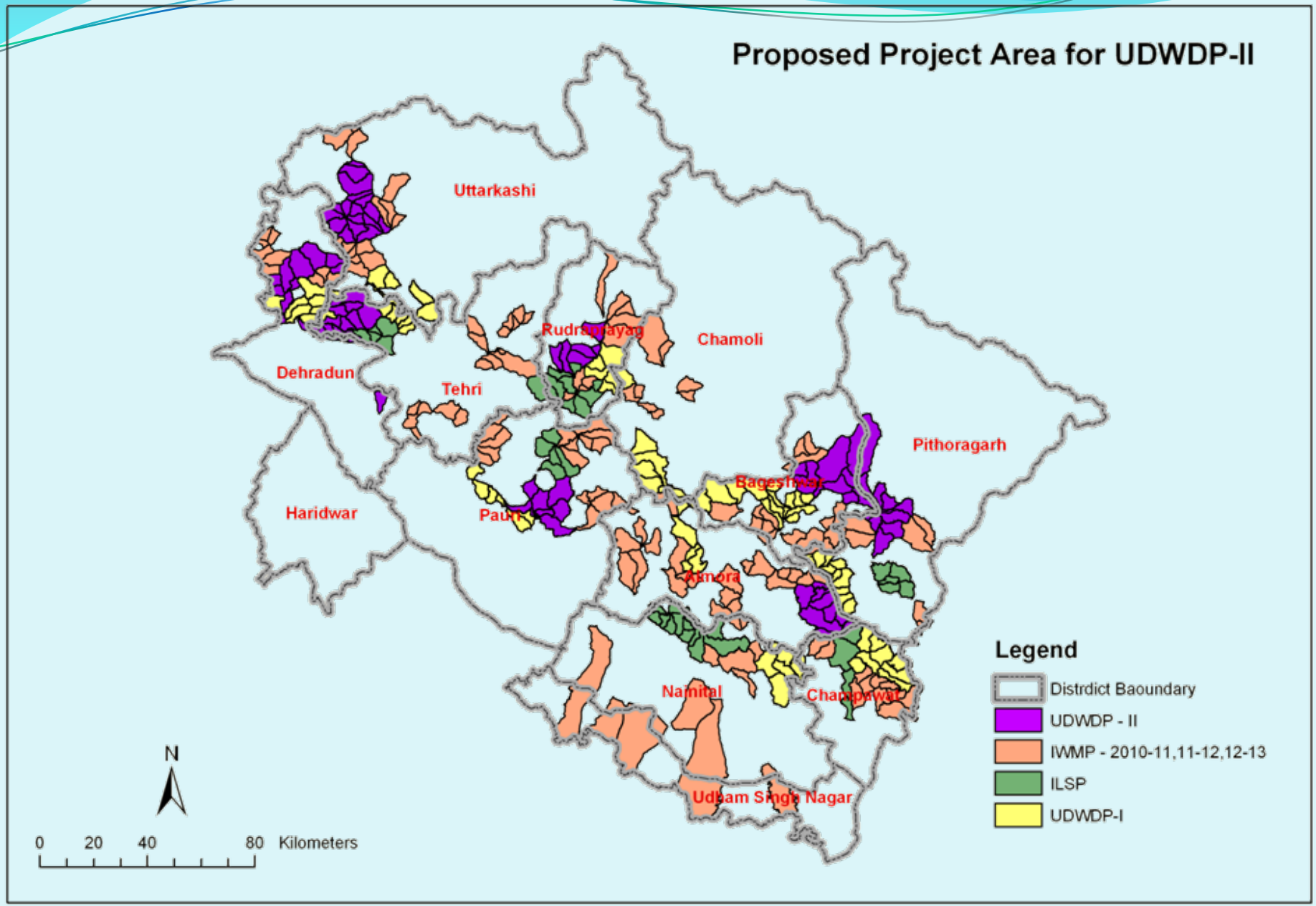

परियोजना अवधि – 7वर्ष (2013 से 2020 तक)

परियोजना का वित्त पोषण (मिलियन अमेरिकीडॉलर में– संशोधित)		
श्रोत	कुल	प्रतिशत
राज्यांश	45.80	27.00
विश्व बैंक (अन्तर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी से प्राप्त ऋण)	121.20	71.30
लाभार्थी अंशदान	3.00	1.70
योग (मिलियन अमेरिकी डॉलर में)	**170.00**	**100**

उत्तराखण्ड विकेन्द्रीकृत जलागम विकास परियोजना फेज–2 का संस्थागत ढाँचा

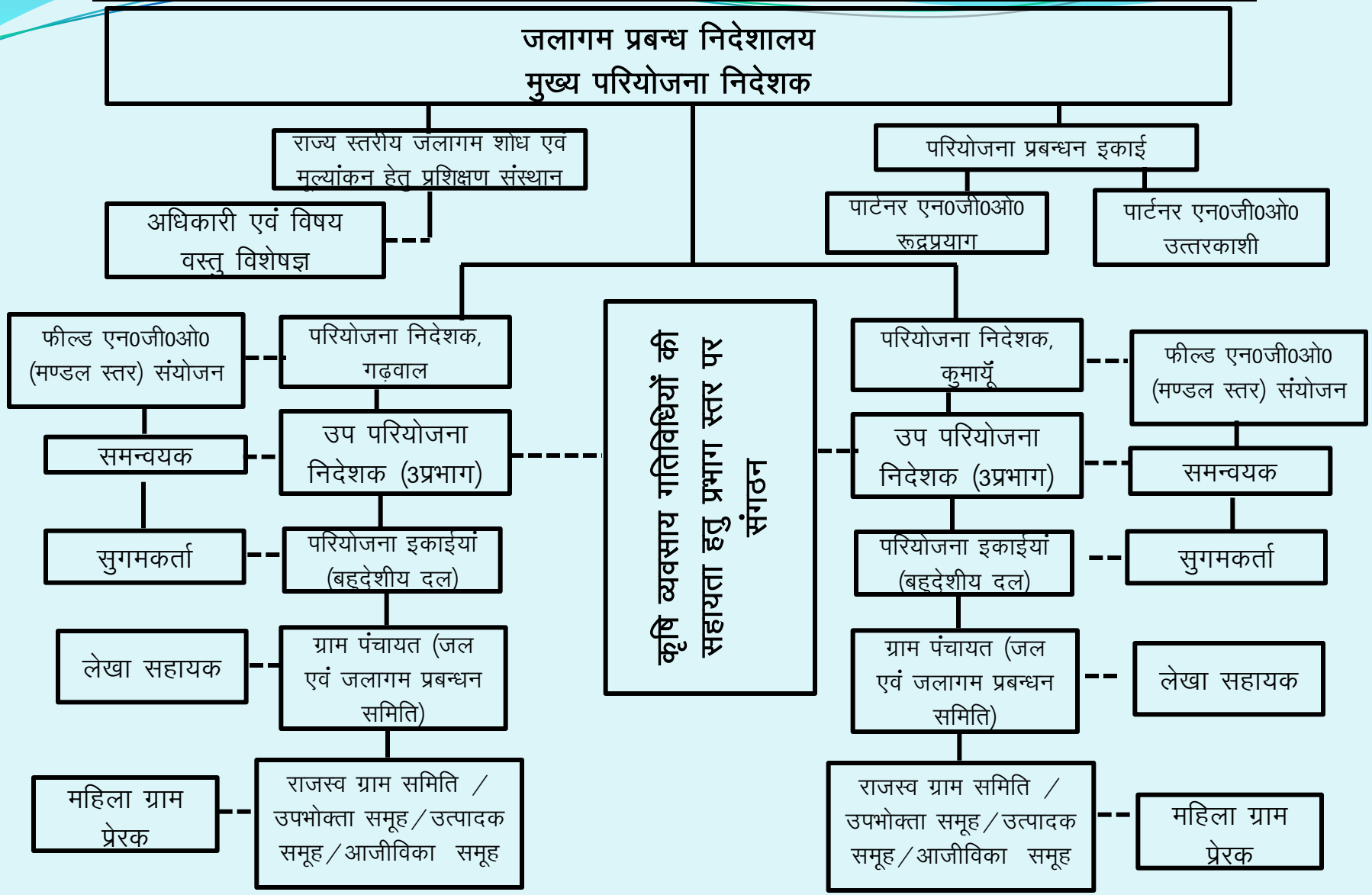

उत्तराखण्ड विकेन्द्रीकृत जलागम विकास परियोजना फेज–2 हेतु परियोजना क्षेत्र का चयन

- मध्य हिमालय में समुद्र तल से 700 मी0 से 2700 मीटर की ऊँचाई के बीच स्थित 82 सूक्ष्म जलागम क्षेत्रं
- भूमि–क्षरण हेतु संबेदनशील व उच्च जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्रों का चयनं

चयन से बाहर रखने के कारक

- वे सूक्ष्म जलागम क्षेत्र जिनमें वर्ष 1998 के बाद बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं का क्रियान्वयन हुआ हैं
- वर्ष 2001 के बाद भू–राजस्व विभाग की केन्द्र पोषित योजनायें जैसे– आई0डब्ल्यू0एम0पी0, आई0डब्ल्यू0डी0पी0, डी0पी0ए0पी0 में चयनित क्षेत्रं
- राष्ट्रीय अभ्यारण, वन्य जीव विहार
- जल विद्युत परियोजनाओं के डूब क्षेत्र तथा उनसे सम्बन्धित जल समेट क्षेत्र के उपचार हेतु तैयार योजनाओं के अंतर्गत आच्छादित क्षेत्रं

क्षेत्र चयन हेतु पात्रता मानक

- भू–क्षरण सूचकांकं
- वर्षा आधारित कृषि या सिंचाई के संसाधनों की कमी वाले क्षेत्रं
- आधारभूत संरचना की कमी व निर्धनता से प्रभावित दूरस्थ क्षेत्रं
- अनुसूचित व अनुसूचित जन जातियों की बहुलता वाले क्षेत्रं
- ग्राम्या फेज–1, आई0एल0एस0पी0 व आई0डब्ल्यू0एम0पी0 क्षेत्रों से लगे सूक्ष्म जलागम क्षेत्रं

क्रमशः

परियोजना के घटक

अ. सोशल मोबिलाईजेशन तथा सहभागी जलागम नियोजन **(यू0एस0 डालर 30.0 मिलियन)**

ब. जलागम उपचार तथा बारानी क्षेत्र विकास **(यू0एस0 डालर 90.3 मिलियन)**

स. आय अर्जन के अवसरों में वृद्धि **(यू0एस0 डालर 18.7 मिलियन)**

द. ज्ञान/जानकारी प्रबन्धन तथा परियोजना समन्वयन **(यू0एस0 डालर 31.0 मिलियन)**

प्रस्तावित भुगतान की रूपरेखा

(मिलियन अमेरिकी डॉलर)

वित्तीय वर्ष	प्रस्तावित वार्षिक भुगतान	भुगतान का प्रतिशत
2013-14	3.00	1.76
2014-15	15.00	8.82
2015-16	28.10	16.52
2016-17	32.60	19.17
2017-18	31.00	18.22
2018-19	29.20	17.17
2019-20	27.70	16.28
2020-21	3.40	2.00
योग–	170.10	100.00

परियोजना में मूल्यांकन के स्तर

- **आन्तरिक मूल्यांकन–** जलागम प्रबन्ध निदेशालय के कार्मिकों द्वारा एम0आई0एस0/ जी0आई0एस0 की सहायता व क्षेत्र भ्रमण के माध्यम सें
- **वाह्य मूल्यांकन–** आधारभूत सर्वेक्षण, परियोजना संचालन के साथ–साथ होने वाला मूल्यांकन, परियोजना के मध्य अंतराल पर होने वाला पुनरीक्षण तथा परियोजना के अंतिम प्रभावों का मूल्यांकनं
- **सामाजिक अकेक्षण (आडिट)–** ग्राम पंचायत स्तर पर हितभागियों द्वारा किया गया सहभागी अनुश्रवण एवं मूल्यांकनं
- **पर्यावरणीय एवं सामाजिक सुरक्षात्मक उपायों का मूल्याकन–** ग्राम पंचायतों / सूक्ष्म जलागम क्षेत्रों हेतु तैयार योजना के साथ ही जोड़ा जायेगां
- **साक्ष्य आधारित मूल्यांकन**– कार्यों का छोटे स्तर पर विशेषज्ञों द्वारा अध्ययन कराकरं
- **जल विज्ञान सम्बन्धी मूल्यांकन–** जमीन के सतह पर पानी का प्रवाह, सिल्ट (गाद) में कमी तथा चयनित सूक्ष्म जलागम क्षेत्रों में पानी की उपलब्धता में वृद्धि का लगातार मूल्यांकनं

परियोजना में सम्प्रेक्षा (आडिट) की व्यवस्था

- **वाह्य अंकेक्षण–** भारत के महालेखाकार द्वारा परियोजना की वार्षिक लेखा परीक्षां

- **आन्तरिक अंकेक्षण –** परियोजना कार्यालयों की प्रत्येक त्रैमास में स्वतंत्र लेखा परीक्षा हेतु एक चार्टड एकाउटेंट संस्था को विश्व बैंक हेतु प्रचलित क्रय नियमों के अंतर्गत अनुबन्धित किया जायेगां

- **ग्राम पंचायतों का अंकेक्षण –** स्वतंत्र चार्टड एकाउटेंट संस्था द्वारा सभी ग्राम पंचायतों की लेखा पुस्तिकाओं व खातों की अनिवार्य वार्षिक लेखा परीक्षा की जायेगीं

पर्यावरणीय एवं सामाजिक मार्गदर्शिका

उत्तराखण्ड विकेन्द्रीकृत जलागम
विकास परियोजना , फेज़ II

पर्यावरणीय तथा सामाजिक प्रबन्धन प्रारूप की आवश्यकता ?

ताकि जलागम विकास के लिए किये गये कार्यों का प्रभाव पर्यावरणानुकूल, सामाजिक रूप से स्वीकार्य व आर्थिक रूप से दीर्घावधिक हों

ई०एस०एम०एफ० मार्गदर्शिका के अनुरूप जी०पी०डब्लू०डी०पी० एवं प्रदर्शन हेतु संभावित गतिविधियॉं

जलागम उपचार

- **बारानी क्षेत्र विकास हेतु विद्यमान सिंचाई सुविधाओं का विकास एवं सृजन–ग्रामीण तालाब, सिंचाई गूल, सिंचाई टैंक, रूफ हार्वेस्टिंग टैंक, एल0डी0पी0ई0 टैंक**
- **कृषि–** टैरेस मरम्मत एवं मेढ बन्दी
- **औद्यानिकी–** नये उद्यानों का विकास, पुराने उद्यानों का जीर्णोद्धार, घरवाड़ीं
- **पशुपालन–** स्टाल फीडिंग कार्यक्रम, नॉद, चरी निर्माणं
- **ग्रामीण सड़क सुधार–**खडण्जा सुधार, छोटे पुल आदिं

ई०एस०एम०एफ० मार्गदर्शिका के अनुरूप सूक्ष्म जलागम स्तर पर श्रोत उपचार गतिविधियॉ–

- **जल श्रोतों के जीर्णोद्धार एवं संभरण हेतु श्रोत चिरन्तरता गतिविधियॉ–**वानस्पतिक संरचनाऐं, वनीकरण, मृदा संरक्षण गतिविधियॉ, खन्तियॉ, तालाब, रिचार्ज पिट इत्यादिं

- **मृदा संरक्षण एवं नाला उपचार–** वानस्पतिक चैकडेम का निर्माण, ड्राई स्टोन, क्रेटवायर चैकडेम का निर्माण, रिटेनिंग वाल, नदी तटबन्ध सुरक्षा, स्पर, जलमोड़ नालीं

- **लघु सिंचाई कार्यक्रम–** यथा गूलों का निर्माण, सिंचाई टैंक, एल0डी0पी0ई0 टैंक, टपक सिंचाई पद्धति तथा वर्शाजल संचय टैंकं

- **चारा उत्पादन कार्यक्रम–** चारा मिनीकिट, नैपियर क्राप बार्डर प्लान्टेषान गतिविधियों का संचालनं
- **वानिकी–** ईधन एवं चारे की उपलब्धता में बढोत्तरी हेतु, वानस्पतिक आवरण में वृद्धि, श्रोतों की चिरन्तरता, चयनित क्षेत्रों में वनीकरण गतिविधियॉ संचालित की जायेगीं
- **सघनीकरण गतिविधियों हेतु किसान/ सामुदायिक/ महिला नर्सरी की स्थापना–** इच्छुक कृश्कों एवं महिला समूहों को उपयुक्त क्षेत्रों में वानिकी पौधालय विकसित करने हेतु प्रोत्साहित किया जायेगां
- **वैकल्पिक ऊर्जा उपायों के प्रोत्साहन द्वारा ऊर्जा संरक्षण को बढ़ाना तथा वन आधारित जलौनी लकड़ी पर निर्भरता को कम करना** यथा गैस संयत्र, सोलर उपकरण/ वैकल्पिक ऊर्जा, घराटों का आधुनिकीकरण, जैविक ईधन–पाईन ब्रिकेटिंगं

ई०एस०एम०एफ० मार्गदर्शिका के अनुरूप प्रदर्शन गतिविधियॉ–

प्रदर्षन गतिविधियॉ जैसे–

- उच्च उत्पादन वाली कृशि प्रजातियॉ
- उच्च उत्पादन कृशि प्रजातियों के अंगीकरण हेतु निवेष सहायतां
- उच्च उत्पादन वाली सब्जी प्रजातियों का प्रदर्षनं
- उच्च उत्पादन सब्जी प्रजातियों के अंगीकरण हेतु निवेष सहायतां
- पालीहाउस एवं पालीटनल आदि की स्थापनां
- बायो/ वर्मी कम्पोस्ट प्रदर्षन
- नैसर्गिक प्रजनन केन्द्र एवं स्टाल फीडिंग सुविधाओं का सृजन जैसे–पषुषाला एवं पषु नॉद इत्यादिं

ई०एस०एम०एफ० मार्गदर्शिका के अनुरूप निर्बल आय वर्ग समूह एवं घुमन्तू प्रजातियों हेतु नियोजन–

निर्बल आय वर्ग समूह

- व्यक्तिगत गतिविधि जैसे– मधुमक्खी पालन, टेलरिंग, लोहारगिरी, बढ़ईगिरी, बार्बर, कुक्कट पालन, व्यवसाय इत्यादिं
- सामूहिक गतिविधि जैसे– टैण्ट हाउस, बैण्ड समूह, कताई एवं बुनाई, खाद्य प्रसंस्करण, रेषा सबंधी कार्य इत्यादिं

घुमन्तू वर्ग

- पषु स्वास्थ्य षिविर, टीकाकरण, तम्बू एवं वैकल्पिक ऊर्जा सुविधाऐं, गर्भवती भेड़ों तथा मैमनों की जाड़े से सुरक्षा हेतु जूट निर्मित कंबल तथा नवजात पषुओं को दूध पिलाने की सुविधा इत्यादिं

पर्यावरणीय तथा सामाजिक प्रबन्धन प्रारूप में सम्मिलित है....

- परियोजना के नियोजन व क्रियान्वयन चरणों में, पर्यावरणीय एवं सामाजिक पहलुओं के विचारणीय बिन्दु
- पर्यावरणीय तथा सामाजिक मार्गदर्शिका (ESA)
- ई0एस0एम0एफ0 प्रयोग हेतु अनुश्रवण व्यवस्था
- कृशि आधारित सुरक्षा कार्यनीति
- षिकायत निवारण क्रियाविधि
- पर्यावरणीय एवं सामाजिक कार्य संहिता

पर्यावरणीय तथा सामाजिक मार्गदर्शिका (ESA) की उपयोगिता

पर्यावरणीय तथा सामाजिक मार्गदर्शिका, परियोजना के अन्तर्गत की जाने वाली गतिविधियों के चयन में ग्राम समुदायों की क्षमता को बढ़ायेगीं यह न केवल पर्यावरणीय तथा सामाजिक क्षेत्र में गतिविधियों के नकारात्मक प्रभावों को कम अथवा दूर करने में सहायक होगी बल्कि सकारात्मक प्रभावों को भी बढ़ायेगीं

पर्यावरणीय एवं सामाजिक सुरक्षा उपायों हेतु निर्देषिका

परियोजना गतिविधियों के चयन हेतु मापदण्ड

परियोजना में ऐसी गतिविधियों को क्रियान्वित करने पर जोर दिया गया है जिनसे न सिर्फ पर्यावरणीय दुश्प्रभावों को कम किया जा सके बल्कि सकरात्मक प्रभावों में भी वृद्धि हो सकें यह सुनिष्चित करने के लिए एक पर्यावरणीय एवं सामाजिक कार्य संहिता (ESCP) विकसित कर इस मार्गदर्षिका में संलग्न की गयी हैं (संलग्नक–VII)

पर्यावरणीय एवं सामाजिक सुरक्षा उपायों हेतु निर्देषिका

परियोजना गतिविधियों के चयन हेतु मापदण्ड

- प्रपत्र 1 (a) में वर्णित गतिविधियां जिनके कारण नकारात्मक पर्यावरणीय प्रभाव पड़ते हो को परियोजना में षामिल नहीं किया जा सकेगां
- प्रपत्र 1 (b) में षामिल गतिविधियॉं एक सीमित पर्यावरणीय एवं सामाजिक आंकलन (ई0एस0ए0) के बाद ही पर्याप्त न्यूनीकरण उपायों के साथ कियान्वित की जा सकेंगीं

गतिविधियों के नकारात्मक प्रभावों हेतु न्यूनीकरण उपायों प्रस्तावित करना

❖ ग्राम पंचायत जलागम विकास योजना में यह भी सुनिष्चित किया जाना वाहिए कि गतिविधियों के सम्भावित नकारात्मक परिणामों के न्यूनीकरण उपाय भी क्रियान्वयन हेतु प्रस्तावित किये गये हों इस सम्बन्ध में गतिविधियों के सम्भावित नकारात्मक प्रभाव तथा उनके न्यूनीकरण उपाय तालिका–3 (संलग्न–VIII) में दिये गये हैं पी0आर0ए0 अम्यासों के समय इन पर अच्छी तरह विचार करते हुए इन्हें जी0पी0डब्ल्यू0डी0पी0 में सम्मिलित किया जाना चाहिएं

पर्यावरणीय एवं सामाजिक आंकलन (ई0एस0ए0)

- ई0एस0ए0 को प्रस्तावित जलागम गतिविधियों के सम्भावित सकारात्मक तथा नकारात्मक परिणामों के मूल्यांकन हेतु एक उपकरण के रूप में प्रयोग किया जा सकता हैं
- नियोजन चरण में सभी गतिविधियों के पर्यावरणीय एवं सामाजिक प्रभावों के आंकलन हेतु निम्नलिखित प्रपत्र–2 का प्रयोग किया जाना चाहिएं
- तालिका–1 में सूचीबद्ध पर्यावरणीय (A से S) तथा सामाजिक (T से Z_3) प्रभावों पर राजस्व ग्राम समिति तथा जल एवं जलागम समिति द्वारा विचार विमर्ष कर सकारात्मक अथवा नकारात्मक प्रभावों को प्रपत्र–2 में उल्लेख करना चाहिएं
- पर्यावरणीय एवं सामाजिक कार्य संहिता (ई0एस0सी0पी0) (संलग्न-VII) के अनुसार प्रस्तावित न्यूनीकरण उपायों के (कोड) भी प्रपत्र में दिये जाने चाहिएं इस हेतु अनुभवों का आदान–प्रदान करने वाले विभिन्न अभ्यासों तथा (संलग्नक–VIII) का प्रयोग किया जा सकता हैं

पर्यावरणीय तथा सामाजिक मार्गदर्शिका (ई0एस0जी0) का क्रियान्वयन

क्रियान्वयन चरण

परियोजना के हितभागियों द्वारा पर्यावरणीय तथा सामाजिक पहलुओं पर विचार कर, ग्राम पंचायत जलागम विकास योजना (GPWDP) व घुमन्तु समुदाय कार्ययोजना तैयार करने, उसके क्रियान्वयन तथा अनुश्रवण का कार्य, चार चरणों में किया जायेगां

प्रथम चरण :

जलागम क्षेत्र के ग्रामीण समुदायों, औपचारिक तथा अनौपचारिक ग्राम स्तरीय संस्थाओं तथा घुमन्तु समूहों का परियोजना के पर्यावरणीय तथा सामाजिक पहलुओं के सन्दर्भ में प्रषिक्षणं

पर्यावरणीय तथा सामाजिक पहलुओं में प्राप्त पूर्व अनुभवों के सन्दर्भ में संलग्नक IV व V का प्रयोग

प्रथम चरण के लिए भूमिका/उत्तरदायित्व एव ंपरिणाम

संस्था	उत्तरदायित्व
जलागम प्रबन्ध निदेश्लय	पर्यावरण एवं सामाजिक मूल्यांकन हेतु प्रषिक्षण निर्देषिका को तैयार करनां विश्य सम्बन्धित प्रषिक्षणों का आयोजन करनां सूचना, षिक्षा व संचार ;प्म्ब्द्ध पर सामग्री तैयार करनां
एम.डी.टी/पी.एन.जी.ओ./एफ. एन.जी.ओ.	ग्रामीणों को पर्यावरण एवं सामाजिक मुद्दों पर जागृत करनां परियोजना के पर्यावरणीय एवं सामाजिक प्रबन्धन प्रारूप व पर्यावरणीय एवं सामाजिक सुरक्षा निर्देषों सम्बन्धी पूर्ण जानकारी उपलब्ध करानां
ग्राम स्तरीय संस्थायें (ग्राम पंचायत की जल एवं जलागम समिति, राजस्व ग्राम समिति, ग्राम पंचायत, लाभार्थी समूह, स्वयं सहायता समूह)	पर्यावरण एवं सामाजिक विचारों को स्वीकार करना तथा आत्मसात करनां
परिणाम	
ग्रामीण समुदाय, पर्यावरण एवं सामाजिक निर्देषिका के विश्य में जागरूक हैं, तथा राजस्व ग्राम समिति के प्रस्ताव को तैयार करते समय इसका उपयोग करने में सक्षम हैं जलागम प्रबन्धन निदेषालय घुमन्तु/स्थान परिवर्तित करने वाले समूहों की कार्ययोजना तैयार करने में यही भूमिका निभायेगां	

द्वितीय चरण

- राजस्व ग्राम समिति ग्राम स्तर पर प्रस्ताव तैयार करेगीं ग्राम पंचायत की जल एवं जलागम समिति इन प्रस्तावों को प्राप्त करेगी तथा अन्तिम रूप से उनका चयन करेगीं इन परियोजना गतिविधियों की प्रपत्र–1(a) तथा प्रपत्र–1(b) द्वारा जांच की जायेगीं

- परियोजना गतिविधियां का प्रपत्र–2 के आधार पर पर्यावरणीय व सामाजिक मूल्यांकन किया जायेगां

नकारात्मक प्रभावों को कम करने के लिए आवश्यक सुरक्षा उपायों हेतु संलग्नक IV व V का प्रयोग किया जा सकेगां तालिका 3 में सह परियोजनाओं/गतिविधियों, उनके सम्भावित नकारात्मक प्रभावों तथा अनुश्रवण सूचकांकों की सूची दी गई हैं

द्वितीय चरण के लिए भूमिका/उत्तरदायित्व एवं परिणाम

संस्था	उत्तरदायित्व
एम.डी.टी./पी.एन.जी.ओ.	पर्यावरणीय एवं सामाजिक निर्देशिका को सम्पूर्ण रूप से तथा प्रत्येक सह परियोजना/गतिविधियों के सन्दर्भ में सुलभ करना व दिशा निर्देश देनां सुरक्षात्मक उपायों, एकीकृत कीट प्रबन्धन (IPM) तथा घुमन्तु/स्थान परिवर्तित करने वाले समुदायों पर सलाह देनां
फील्ड एन.जी.ओ	कमजोर वर्ग जैंसे महिलाओं, अनुसूचित जाति/जनजाति, गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों के विशेष सन्दर्भ में एम.डी.टी./पी.एन.जी.ओ. को मदद करनां
राजस्व ग्राम समिति की अधिषासी समिति	पर्यावरण तथा सामाजिक मूल्यांकन के आधार पर प्रस्तावों की जांच करनां
परिणाम	
पर्यावरणीय एवं सामाजिक निर्देशिका के अनुरूप ग्राम पंचायत जलागम विकास योजना तथा घुमन्तु/स्थान परिवर्तित करने वाले समूहों की कार्य योजना का ड्राफ्ट	

तृतीय चरण

उप परियोजना निदेशक/पी.एन.जी.ओ. द्वारा क्षेत्र के आंकलन के आधार पर ग्राम पंचायत की जल एवं जलागम समिति द्वारा तैयार ग्राम पंचायत जलागम विकास योजना के ड्राफ्ट तथा घुमन्तु/स्थान परिवर्तित करने वाले समूहों की कार्ययोजना का तकनीकी पुर्नमूल्यांकन कर अनुमोदन हेतु ग्राम पंचायतों को भेजा जायेगां

उप परियोजना निदेशक/पी.एन.जी.ओ. द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि ग्राम पंचायत जलागम विकास योजना निरूपण में पर्यावरणीय तथा सामाजिक प्रबन्धन प्रारूप का अनुपालन किया गया है ·

तृतीय चरण के लिए भूमिका/उत्तरदायित्व एवं परिणाम

संस्था	उत्तरदायित्व
उप परियोजना निदेषक/पी. एन.जी.ओ.	ग्राम पंचायत जलागम विकास योजना का ड्राफ्ट तथा घुमन्तु/स्थान परिवर्तित करने वाले समूहों की कार्ययोजना के क्षेत्र आंकलन, पर्यावरण एवं सामजिक निर्देषिका, तकनीकी तथा वित्तीय पहलुओं पर टिप्पणी करनां उप परियोजना निदेषाक के मूल्यांकन के बाद योजना को परियोजना निदेषाक के पास अनुमोदन हेतु भेजनां
परियोजना निदेषाक	घुमन्तु/स्थान परिवर्तित करने वाले समूह की कार्य योजना का टिप्पणी सहित अनुमोदन करनां
ग्राम पंचायत	जलागम विकास योजना का अनुमोदन तथा अपनाने के लिए ग्राम सभा की बैठक करनां घुमन्तु/स्थान परिवर्तित करने वाले समूह अपनी कार्ययोजना का अनुमोदन करेंगें
परिणाम	
पर्यावरण व सामाजिक निर्देषिका की षर्तों के अनुरूप ग्राम पंचायत जलागम विकास योजना तथा घुमन्तु/स्थान परिवर्तित करने वाले समूह की कार्ययोजना का अनुमोदनं	

चतुर्थ चरण

ग्राम पंचायत जलागम विकास योजना तथा घुमन्तु/स्थान परिवर्तित करने वाले समूह की कार्ययोजना का क्रियान्वयन, अनुश्रवण तथा उससे प्राप्त सीखं

चतुर्थ चरण के लिए भूमिका/उत्तरदायित्व एवं परिणाम

संस्था	उत्तरदायित्व
बहुविश्यक टीम/यूनिट कार्यालय / फील्ड एन.जी.ओ.	गतिविधियों के क्रियान्वयन में तकनीकी सहायता देना, रिकार्ड का सही लेखा–जोखा रखने में मदद करना, भागीदारी तथा क्षमता विकास कार्यक्रमों को पर्यावरण एवं सामाजिक निर्देषिका, ग्राम पंचायत जलागम विकास योजना तथा घुमन्तु अथवा स्थान परिवर्तित करने वाले समूह की कार्ययोजना के अनुरूप सुनिष्चित करनां सहभागी अनुश्रवण एवं सीख में ग्राम पंचायत की जल एवं जलागम समिति तथा अन्य ग्राम स्तरीय संस्थाओं की मदद करनां
उप परियोजना निदेषाक/पार्टनर एन.जी.ओ.	ग्राम पंचायत की जल एवं जलागम समिति द्वारा क्रियान्वित परियोजनाओं की रिपोर्टिंग समबन्धी आवष्यकताओं को सुनिष्चित करनां सभी सह परियोजनाओं/गतिविधियों का पर्यावरण एवं सामाजिक निर्देषिका के अनुरूप तथा परियोजना द्वारा प्रदत्त तकनीकी विषेशज्ञता के साथ क्रियान्वयन को सुनिष्चित करनां ग्राम पंचायत जलागम विकास योजना के कार्यक्रम के अनुसार ग्राम पंचायत की जल एवं जलागम समिति को धन की उपलब्धता सुनिष्चित करनां आन्तरिक अनुश्रवण एवं सीखं

चतुर्थ चरण के लिए भूमिका/उत्तरदायित्व एवं परिणाम

संस्था	उत्तरदायित्व
ग्राम पंचायत	परियोजना के मैनुअल तथा पर्यावरण एवं सामाजिक निर्देषिकाओं के अनुसार खरीद–फरोख्त, क्रियान्वयन एवं लेखा–जोखा रखनां
ग्राम पंचायत, राजस्व ग्राम समिति, वन पंचायत, उपयोगकर्ता समूह तथा स्वयं सहायता समूह	सहभागी अनुश्रवण तथा उससे प्राप्त सीखं
बाह्य परामर्षादाता (अनुश्रवण एवं मूल्यांकन)	सैम्पल सर्वेक्षण द्वारा प्रभावों का मूल्यांकन करनां
परियोजना निदेषक	क्षेत्र मे अनुश्रवण एवं सीख गतिविधियों का सुपरविजन तथा सीख का दस्तावेजीकरणं
जलागम प्रबन्ध निदेशालय	परियोजना के क्षेत्र में तथा क्षेत्र के बाहर सभी अनुश्रवण एवं सीख गतिविधियों का मिलान करनां

परिणाम

पर्यावरण एवं सामाजिक अनुश्रवण प्रपत्रों तथा निर्देषिकाओं के अनुरूप परियोजना के उद्देष्यों की प्राप्ति तथा भविश्य में सुधार करने हेतु सीख/ज्ञान की प्राप्तिं

परियोजना नियोजन तथा कियान्वयन में ई0एस0एम0एफ0 का उपयोग

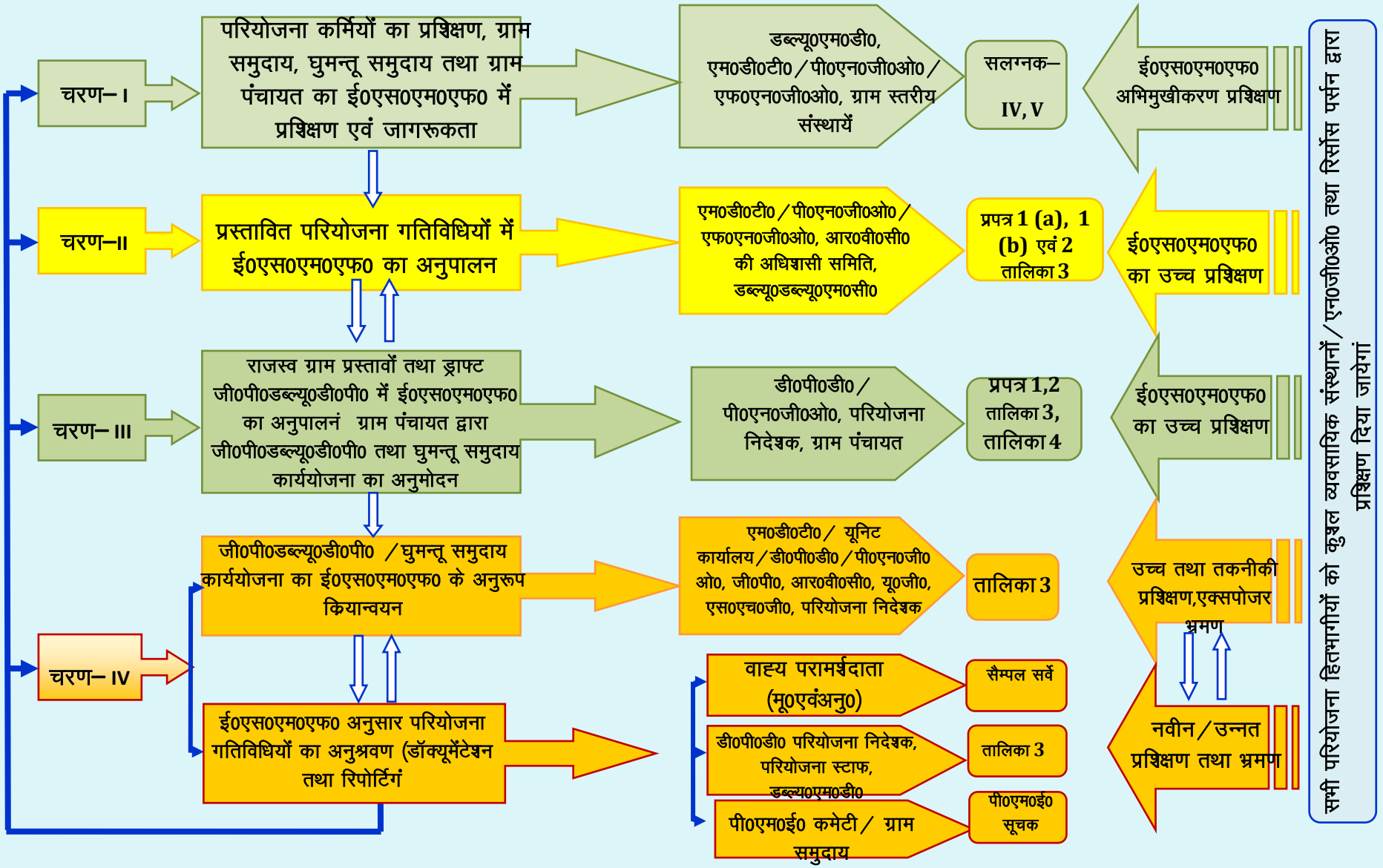

वित्तीय प्रणाली दिग्दर्शिका

❖**परियोजना की सफलता–** वित्तीय अनुषासन, तकनीकी व्यहारिकता एवं प्रषासनिक क्षमतां

❖**परियोजना का दायित्व–** नियत उद्देष्यों की पूर्ति हेतु परियोजना निधि का प्रभावी उपयोग सुनिष्चित करना तथा संस्थाओं एवं साझेदारों को उसका प्रतिवेदन करनां

❖**नियमावली का उद्देष्य–** उपभोक्ताओं तथा साझेदारों को प्रासंगिक लेखा नीतियों, बजट निर्धारण, लेखा तथा प्रतिवेदन संबंधी आवष्यकताओं हेतु सहायता एवं मार्गदर्षन प्रदान करनां

❖**वित्तीय प्रबंधन प्रणालियॉ–** जलागम प्रबन्ध निदेषालय द्वारा सरकारी खरीद एवं लेखांकन हेतु वित्तीय प्रबंधन नियमावली तथा ग्राम पंचायत द्वारा सामुदायिक खरीद हेतु नियमावलीं

वित्तीय प्रबंधन प्रणालियों के मुख्य उद्देश्य-

- नियमावली प्रणाली में व्यवहारों का उचित अभिलेखन और लेखा के सर्वश्रेष्ठ कम्प्यूटरीकरण हेतु कोडिंग प्रणाली प्रदान करनां
- बजट निर्धारण एवं निधि प्रवाह–प्रक्रियां
- प्राधिकरण तथा मुख्य पात्रों हेतु संवेदनषील स्तरों पर दायित्व निर्धारणं
- प्रभावी सूचना प्रबन्धन प्रणाली के माध्यम से अनुश्रवण एवं मूल्यॉंकनं
- प्रभावी आंतरिक नियंत्रण तथा आंतरिक एवं वाह्य लेखा परीक्षण प्रणाली स्थापित करनां
- राज्य सरकार तथा विष्व बैंक सहित विभिन्न साझेदारों की, वित्तीय प्रतिवेदन आवष्यकताओं को पूर्ण करनां

❖उत्तराखण्ड विकेन्द्रीकृत जलागम विकास परियोजना, द्वितीय फेज द्वारा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित आदर्ष वित्तीय प्रबन्धन प्रणाली का पालन किया जायेगां

❖इस कार्य हेतु षासनादेष संख्या– 151/XIII(II)/2013-04(09)/2013 दिनांक 16 जुलाई, 2013 आबंटित बजट षीर्श है– ''**अनुदान संख्या–17 लेखाषीर्शक– 2401– फसल कृश्वि कर्म–00–आयोजनागत–800– अन्य योजनाएं–97– वाह्य सहायतित योजना–02– उत्तराखण्ड विकेन्द्रीकृत जलागम विकास परियोजना** ''

❖नयी परियोजना में लेखा के कम्प्यूट्रीकरण संबंधी सूक्ष्म परिवर्तन के अतिरिक्त प्रस्तावित नियमावली वही रहेगी जो **उत्तराखण्ड विकेन्द्रीकृत जलागम विकास परियोजना– प्रथम फ़ेज** में थीं

विभागीय लेखांकन ढाँचा

अधिकारी	निदेशालय स्तर	परियोजना निदेशक कार्यालय स्तर	उप परियोजना निदेशक कार्यालय स्तर	परियोजना प्रबन्धन इकाई स्तर
वित्त नियंत्रक/ वरिष्ठ वित्त अधिकारी	✓			
सहायक वित्त/ लेखा अधिकारी	✓		✓	✓
वित्त/ लेखा अधिकारी		✓		
लेखाकार – बजट	✓	✓	✓	✓
सहायक लेखाकार – सम्प्रेक्षा	✓			✓
सहायक लेखाकार – कैषियर	✓	✓	✓	✓
सहायक लेखाकार – व्यय एवं प्रतिपूर्ति	✓			
डाटा इन्ट्री आपरेटर कम कम्प्यूटर आपरेटर (टेली प्रषिक्षित)	✓	✓	✓	✓
कामर्स गेज्यूएट (संविदा)	✓	✓	✓	✓

राज्य सरकार की बजट प्रक्रिया

समग्र बजट प्रवाह

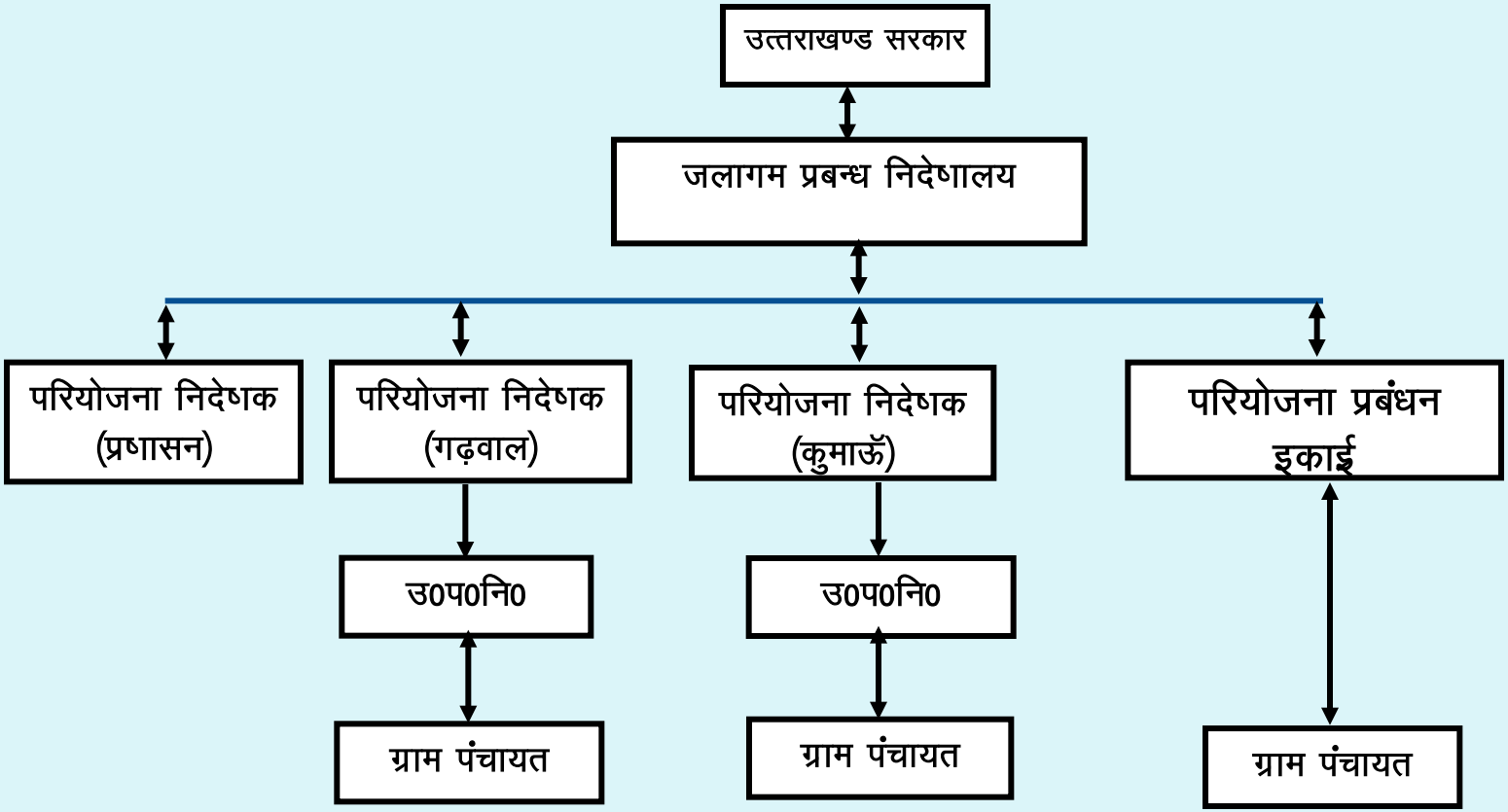

नोट–

ऊपरी प्रवाह बजट तथा नियोजन का ग्राम पंचायत स्तर से ऊपर की दिषा में प्रवाह को दर्षाता है

नीचे की दिषा में प्रवाह बजट का राज्य सरकार स्तर से स्वीकृत होकर नीचे की दिषा में प्रवाह को दर्षाता हैं

वार्षिक कार्य योजना को जलागम प्रबन्ध निदेषालय स्तर पर तैयार करने के उपरांत स्वीकृति हेतु स्टीरिंग कमेटी को प्रेशित किया जाता है, तत्पष्चात् उसे व्ययवार बजट के अभिलेख प्रपत्र के रूप में राज्य सरकार के अनुमोदनार्थ भेजा जाता हैं बजट स्वीकृत होने पर जलागम प्रबंध निदेषालय इसकी सूचना परियोजना निदेषालय एवं परियोजना अनुश्रवण इकाई (पी0एम0यू0) को देता हैं इसी प्रकार, संबंधित परियोजना निदेषक एवं उप परियोजना निदेषक बजट आवंटन की सूचना संबंधित ग्राम पंचायत को देते हैं

परियोजना निधि जारी करने की प्रणाली–

परियोजना निधि समस्त आहरण वितरण अधिकारियों (परि0निदे0, उ0प0नि0 तथा पी0एम0यू0) को निम्नलिखित प्रणालियों द्वारा उपलब्ध कराई जायेगी–

1. कोशागार प्रणालीं
2. गैर–कोशागार प्रणाली (सी0सी0एल0)

निधि प्रवाह प्रक्रिया-कोषागार प्रणाली

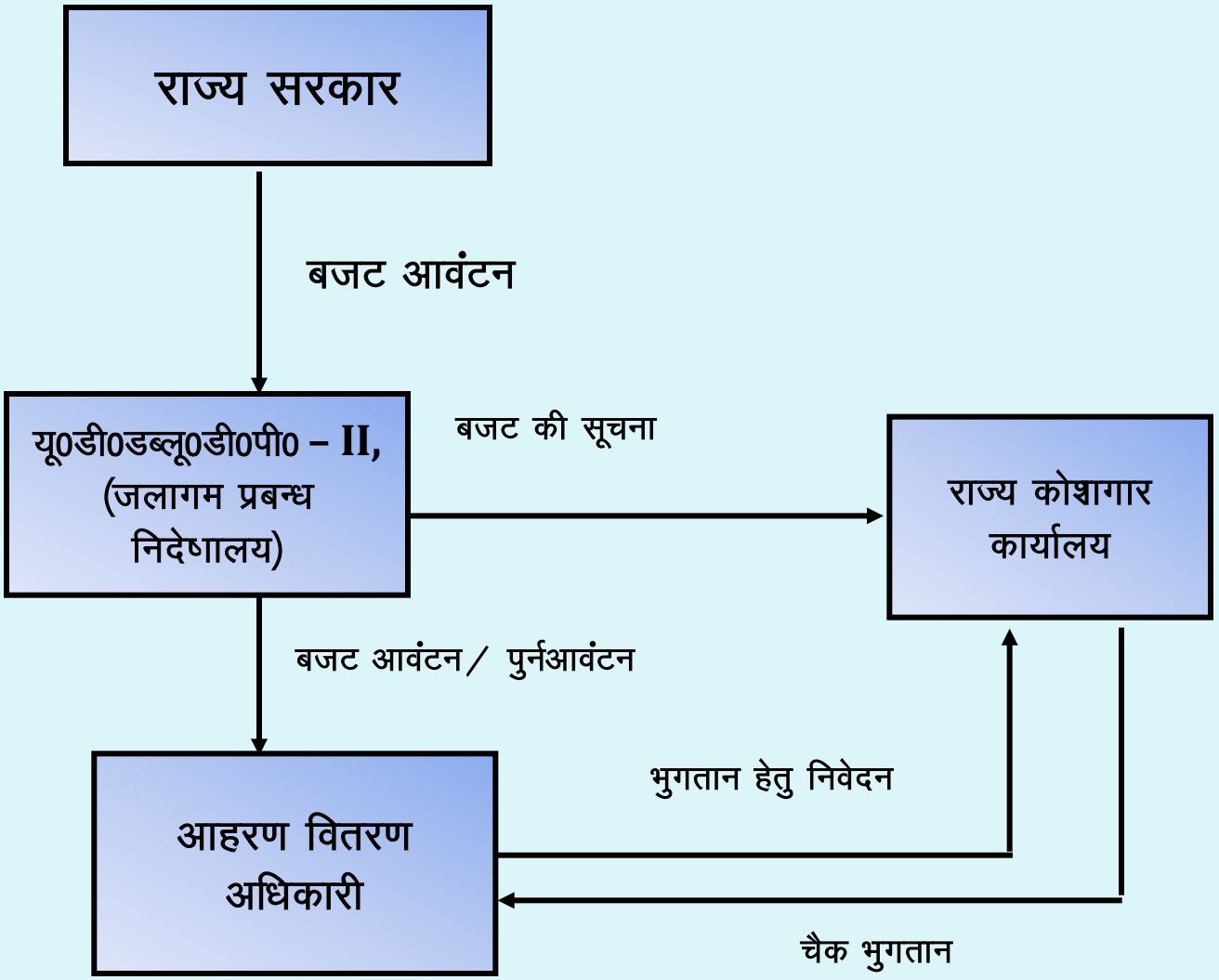

निधि प्रवाह प्रक्रिया–गैर कोषागार प्रणाली

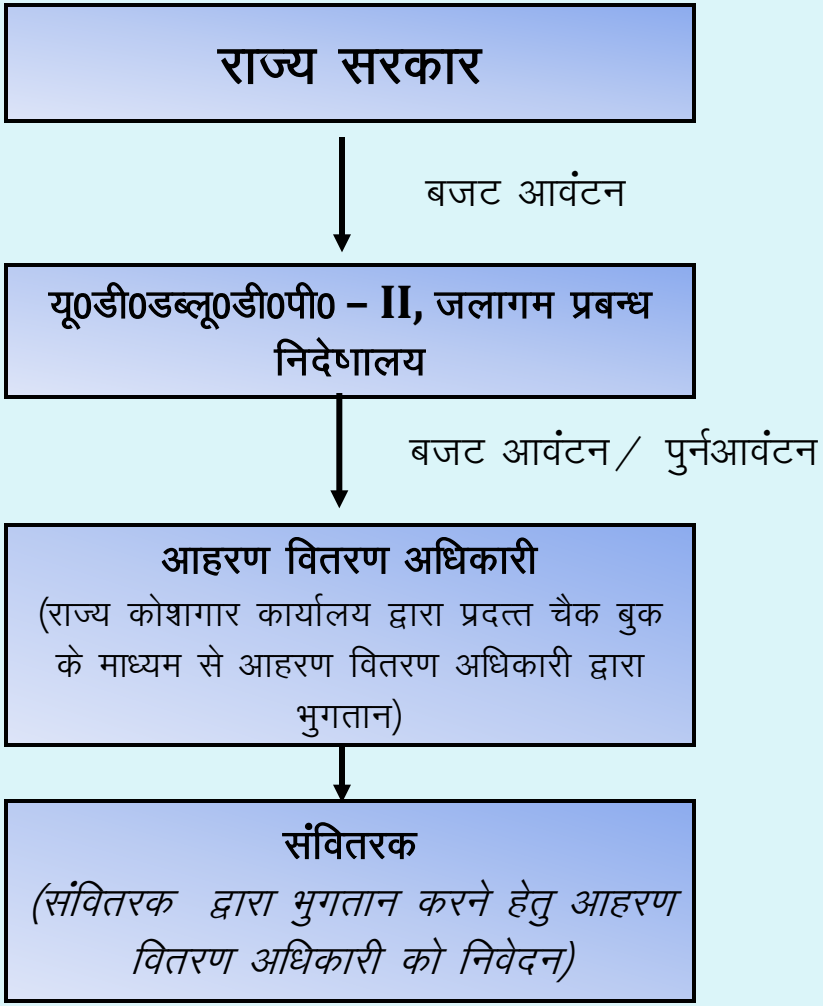

समाज द्वारा ग्राम पंचायतों को लाभार्थी अंशदान का दिया जाना–

- लाभार्थी ऐसे व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के समूह हैं, जो परियोजना द्वारा संचालित विकास गतिविधियों से लाभान्वित होगें
- परियोजना में लाभार्थी अंषादान (जैसा कि अनुवर्ती अनुच्छेदों में वर्णित है) सीधे उस संस्था द्वारा दिया जायेगा जो विकास गतिविधि का संचालन करती है, जैसे कि–ग्राम पंचायतं
- लाभार्थियों द्वारा अंषादान निम्नलिखित में से किसी भी रूप में दिया जा सकता है–

    1. नकद अंषादान
    2. श्रमदान अंषादान
    3. सामग्री के रूप में अंषादान

वित्तीय एवं लेखांकन नीतियॉ-

- परियोजना ढॉचे को ध्यान में रखते हुये, जिसमें दो संस्थायें निहित हैं, पहली, जलागम प्रबंध निदेषालय (नोडल संस्था के रूप में) और दूसरी, ग्राम पंचायत (कार्यान्वयन संस्था के रूप में,) हेतु वित्तीय एवं लेखांकन नीतियों के दो पृथक् सेट तैयार किये गये हैं ग्राम पंचायत हेतु बनायी गयी **वित्तीय प्रणाली नियमावली** में ग्राम पंचायतों हेतु पृथक् वित्तीय एवं लेखांकन नीतियों का समावेष किया गया हैं
- यह संज्ञान लेना होगा कि इस नियमावली में निहित वित्तीय एवं लेखांकन नीतियॉ राज्य वित्तीय नियमों में दी गयी नीतियों की अनुपूरक होंगीं

ग्राम पंचायतों हेतु भुगतान की प्रणाली

ग्राम पंचायतों को भुगतान एक अनुदान के रूप में किया जायेगा जिसे "सहायक अनुदान" लेखा षीर्श्क के अंतर्गत चार्ज किया जायेगां पूर्ण किये गये कार्य के सापेक्ष अनुदान को मासिक बिल की प्राप्ति के समय, समायोजित किया जायेगां जबकि रनिंग बिलों के सापेक्ष आहरित धनराषि को अनुदान के अतिरिक्त समझा जायेगां परियोजना द्वारा विष्व बैंक से ग्राम पंचायतों में पूर्ण किये गये कार्य के सापेक्ष किये गये वास्तविक व्यय की मांग की जायेगीं

वित्तीय प्रबन्धन प्रणाली का कॅम्प्यूट्रीकरण

जलागम प्रबंध निदेषालय, परियोजना निदेषक, तथा उप परियोजना निदेषक के कार्यालयों में वित्तीय प्रबन्धन प्रणाली के कम्प्यूट्रीकरण का कार्य प्रस्तावित हैं तब तक सभी कार्यालयों में यह कार्य मैनुअली (संबंधित कार्मिकों द्वारा) किया जायेगा तत्पष्चात् क्रमषः कम्प्यूट्रीकरण किया जायेगां यद्यपि समस्त प्रस्तावित वित्तीय प्रबंधन प्रणालियॉ लेखांकन की दोनों ही पद्धितियों मैनुअली एवं कम्प्यूट्रीकरण की आवष्यकताओं की पूर्ति करती हैं

लेखांकन केन्द्रों का निर्धारण

परियोजना हेतु लेखांकन निम्नलिखित स्तरों पर किया जायेगा–

- ग्राम पंचायत
- उप परियोजना निदेषाक कार्यालय
- परियोजना निदेषाक कार्यालय
- परियोजना अनुश्रवण इकाई (पी0एम0यू0)
- गैर सरकारी सहयोगी संस्था
- मुख्य परियोजना निदेषाक कार्यालय

मॉग विवरण तैयार करना

- प्रत्येक माह के अंत में, एक मॉग विवरण तैयार किया जायेगा, जिसे प्रारभिंक चरण में निर्धारित प्रारूप में मैन्युअल रूप में तैयार करना होगा, तत्पष्चात् कम्प्यूट्रीकरण हो जाने पर यह कम्प्यूटर द्वारा तैयार किया जायेगां
- आहरण वितरण अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत मॉग विवरण को अनुक्रम स्तरों द्वारा अपने हिस्से की मॉग सम्मिलित करते हुवे समाहित किया जायेगां जब तक कम्प्यूट्रीकरण न हो जाये यह कार्य भी मैन्युअल रूप से किया जायेगां
- मॉगों का विस्तृत ब्यौरा मॉग रजिस्टर में अंकित किया जायेगां समाहित मॉग विवरण को मुख्य परियोजना निदेषाक द्वारा सी0ए0ए0ए0 को प्रेशित किया जायेगां

TYPES OF REPORTS

(1) INTERNAL REPORTS:

S.NO	TITLE OF REPORT	REPORT NO.	PERIODICITY	BY WHEN	PREPARED BY	SUBMITTED TO
1.	Monthly Progress Report	I M1	Monthly	3rd of following month	Unit Officer	DPD
2.	Monthly Progress Report	I M2	Monthly	7th of following month	DPD	WMD
3.	Monthly Progress Report	I M3	Monthly	3rd of following month	PD	WMD
4.	Cumulative Sub component wise Quarterly Progress Report	I Q1	Quarterly	7th of the following month	Unit Officer	DPD
5.	Cumulative Gram Panchayat Progress Report	I Q2	Quarterly	15th of the following month	DPD	WMD

Contd…..

S.NO	TITLE OF REPORT	REPORT NO.	PERIODICITY	BY WHEN	PREPARED BY	SUBMITTED TO
6.	Cumulative Physical and Financial Progress Report	I Q3	Quarterly	10th of following month	DPD	WMD
7.	Cumulative Physical and Financial Progress Report	I Q4	Quarterly	10th of following month	PD	WMD
8	Cumulative Stock Statement	I A1	Annual	10th of following month	DPD	WMD
9	Interim Unaudited Financial Report (IUFR)					
10	Activity wise monthly abstract of expenditure and beneficiary contribution	R-1	Monthly	3rd of following month	Unit Officer	DPD
11	Cumulative activity wise monthly progress reporting	R-2	Monthly	3rd of following month	Unit Officer	DPD

(2) EXTERNAL REPORTS

S.NO	TITLE OF REPORT	REPORT NO.	PERIODICITY	BY WHEN
1.	Statement of Sources and utilization of funds for the quarter	IUFR 1	Quarterly	30th of following month
2.	Statement of Sources and utilization of funds (Cumulative)	IUFR 2	Quarterly	30th of following month
3	Division wise expenditure statement	IUFR 3	Quarterly	30th of following month
4	Statement of Sources and utilization of funds (Division wise statement)	IUFR 4	Quarterly	30th of following month
5	Claims reconciliation statement	IUFR 5	Quarterly	30th of following month
6	Contract wise payments	IUFR 6	Quarterly	30th of following month
7	Cumulative Gram Panchayat Progress report	IUFR 7	Quarterly	30th of following month

लेखा परीक्षण (सम्प्रेक्षा) व्यवस्था

- लेखा परीक्षण द्वारा किसी भी संस्था के लेखा, विवरणों तथा प्रतिवेदनों की षुद्धता और उसकी वित्तीय प्रणाली की जॉच सुनिष्चित की जाती हैं परियोजना अंतर्गत नियमावली में निर्धारित मानकों के अनुरूप उचित कार्यषीलता सुनिष्चित करने के लिये सिस्टमिक लेखा परीक्षण व्यवस्था की आवष्यकता होती हैं अस्तु, चार प्रकार के लेखा परीक्षण किये जायेगें–
  - सी0ए0जी0 (महालेखाकार) द्वारा परियोजना कार्यालयों का वार्शिक वैधानिक लेखा परीक्षणं
  - वित्तीय समीक्षा सलाहकारों द्वारा त्रैमासिक रूप से परियोजना कार्यालयों तथा 20 प्रतिषात ग्राम पंचायतों का आन्तरिक लेखा परीक्षणं
  - विष्व बैंक द्वारा वार्शिक आधार पर सरकारी खरीद के उपरान्त समीक्षा लेखा परीक्षण (पोस्ट प्रोक्योरमेन्ट रिव्यू आडिट)
  - चार्टर्ड एकांउन्टेन्ट संस्था द्वारा ग्राम पंचायतों का वार्शिक आधार पर अनिवार्य लेखा परीक्षणं

लेखा शीर्ष विवरण

लेखा कोड	लेखा षीर्ष		लेखा कोड	लेखा षीर्ष
01	वेतन		11	लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई
02	मजदूरी		12	कार्यालय तथा फर्नीचर उपकरण
03	महंगाई भत्ता		13	टेलीफोन पर व्यय
04	यात्रा भत्ता		14	मोटर गाड़ियों का क्रय
05	स्थानान्तअरण यात्रा भत्ता		15 16	गाड़ियों का अनुरक्षण व्यवसायिक तथा अवषेश सेवाओं के लिये भुगतान
06	अन्य भत्ते		17	किराया उपषुल्क
07	मानदेय		18 19 20	प्रकाषन विज्ञापन सहायक अनुदान
08	कार्यालय व्यय		24	वृहद निर्माण
09	विद्युत देय			
10	जलकर / जलप्रभार			

Contd...

लेखा कोड	लेखा षीर्श	
25	लघु निर्माण	
26	मषीन साजसज्जा/ उपकरण	
27	चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति	
29	अनुरक्षण	
42	अन्य व्यय	
44	प्रषिक्षण पर व्यय	
45	अवकाष यात्रा पर व्यय	
46	कम्प्यूटर हार्डवेयर/ साफ्टवेयर की क्रय	
47	कम्प्यूटर अनुरक्षण एवं तत्संबंधी स्टेषनरी का क्रय	

ग्राम पंचायतों हेतु वित्तीय प्रबन्धन दिग्दर्शिका

- ग्राम पंचायतों हेतु वित्तीय दिग्दर्षिका, पंचायती राज्य अधिनियम में विहित नियमों की आदर्षा कार्यप्रणाली का पालन करेगीं
- प्रभागीय कार्यालय द्वारा वार्शिक कार्य योजना की 10 % राषि को अग्रिम के रूप में चयनित ग्राम पंचायतों के परियोजना हेतु सृजित पृथक् बैंक खातों में स्थानान्तरित किया जायेगां
- प्रत्येक ग्राम पंचायत में संबंधित ग्राम पंचायत के चयनित लेखा सहायक (मानदेय पर तैनात) द्वारा सहायता प्रदान की जायेगीं
- परियोजना निधि का संवितरण ग्राम प्रधान एवं महिला वार्ड सदस्या के संयुक्त हस्ताक्षरों द्वारा सुनिष्चित किया जायेगा न कि पंचायत सचिव द्वारा (षासनादेष सं0 **525/XII/86(53)2006** दिनांक **26.07.2006** द्वारा)
- सूचना/ प्रतिवेदन आवष्यकताओं की पूर्ति ग्राम पंचायत स्तर से यूनिट स्तरीय अधिकारी को की जायेंगी और यूनिट स्तरीय अधिकारी स्तर से प्रभागीय स्तर को की जायेंगीं

परियोजना क्रय नियमावली

क्रय के मूल्य व सिद्धान्त

10 मार्गदर्शक सिद्धान्त जो सार्वजनिक क्रय के सम्बन्ध में प्रशासन को विनियमित या प्रभावित करते हैं:-

- उत्तरदायी
- प्रतिस्पर्धा
- एकरूपता
- प्रभावी
- क्षमता
- निष्पक्ष व्यवहार
- सत्यनिष्ठा
- निर्णय लेने की प्रक्रिया को जानकारी में लाना
- संवेदनशीलता
- पारदर्शिता

क्रय सम्बन्धी प्रक्रिया के विभिन्न स्तर

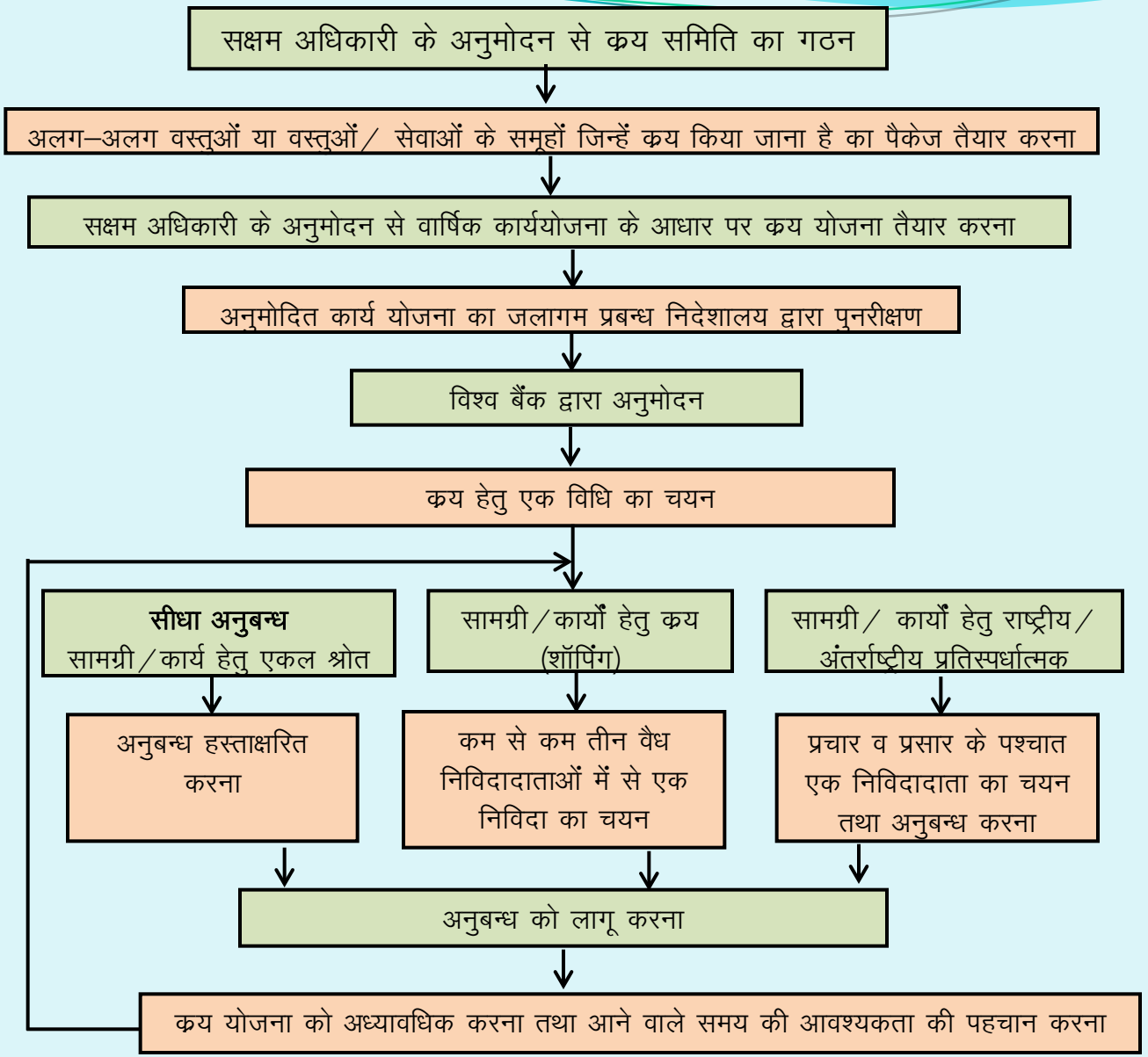

जलागम प्रबन्ध निदेशालय स्तर पर क्रय

जलागम प्रबन्ध निदेशालय स्तर पर निम्न क्रय किये जाने हैंः–

- **कार्यः** (लघु निर्माण कार्य जिसमें विभिन्न स्तरों के कर्मचारियों के आवासों तथा कार्यालय भवनों की मरम्मत व निर्माण आदि सम्मिलित हैं)
- **सामग्रीः** (कार्यालय उपकरणों जैसे– कम्प्यूटर, फर्नीचर,वाहन व संचार सम्बन्धी उपकरणों का क्रय)
- **व्यक्तिगत सलाहकार सेवायें तथा गैर सरकारी संगठनों, जो परियोजना के विभिन्न घटकों के क्रियान्वयन हेतु आवश्यक हैं का क्रय** (जैसे– पी0एन0जी0ओ0, एफ0एन0जी0ओ0, वाह्य अनुश्रवण एवं मूल्यांकन एजेंसी, कृषि व्यवसाय हेतु संगठन व आन्तरिक अंकेक्षण हेतु फर्म आदि)

सामग्री व कार्य का क्रय

क्रय के प्रकार

विश्व बैंक परियोजना हेतु सामग्री व निर्माण कार्यों के लिए क्रय की निम्न विधियां प्रचलित हैं:–

- अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मक निविदा के माध्यम से (ICB) **[**प्रस्तावित परियोजना में लागू नहीं**]**
- राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मक निविदा के माध्यम से (NCB) **[**प्रस्तावित परियोजना में लागू नहीं**]**
- शापिंग **[**प्रस्तावित परियोजना में अधिकांश क्रय इसी विधि के माध्यम से किया जायेगा**]**
- सीधे अनुबन्ध के माध्यम से **[यह केवल बीज, पौध, पशुपालन सम्बन्धी कतिपय क्रय, उपग्रह से प्राप्त चित्रों आदि पर लागू होगा]**
- दरों के अनुबन्ध के आधार पर **[वाहन व कम्प्यूटर आदि के क्रय पर लागू होगा]**
- सीमित अंतर्राष्ट्रीय निविदा के माध्यम से (LIB) **[**प्रस्तावित परियोजना में लागू नहीं**]**

सेवाओं का क्रय

सेवाओं के क्रय की विधियाँ

- गुणवत्ता व मूल्य आधारित चयन (QCBS) **[एफ0एन0जी0ओ0, पी0एन0जीओ0, वाह्य अनुश्रवण एवं मूल्यांकन हेतु संस्था व जल विज्ञान आदि के अनुश्रवण हेतु]**
- गुणवत्ता आधारित चयन(QBS)
- निश्चित बजट के आधार पर चयन (FBS)
- व्यक्तिगत सलाहकर्ता के चयन की विधि **[पर्यावरण, सामाजिक विकास, जी0आई0एस0, आई0ई0सी0 व एम0आई0एस0 सलाहकार आदि का क्रय इस माध्यम से होगा]**
- न्यूनतम मूल्य विधि (LCS) **[लघु व अत्यंत छोटे अध्ययनों हेतु]**
- सलाहकर्ता की योग्यता पर आधारित चयन (CQS)
- एकल श्रोत के माध्यम से चयन (SSS)

क्रय विधियों हेतु प्रस्तावित न्यूनतम सीमा तथा विश्व बैंक निर्देशों के अनुसार क्रय से पूर्व परीक्षण

व्यय श्रेणी	अनुबन्ध की न्यूनतम सीमा	क्रय का प्रकार	विश्व बैंक द्वारा परीक्षण की विधि
कार्य	कार्य जिसकी अनुमानित लागत 40 मिलियन अमेरिकी डॉलर से कम हैं	अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मक निविदा के माध्यम से (ICB)	[प्रस्तावित परियोजना में लागू नहीं]
कार्य व गैर सलाहकार सेवायें	कार्य जिसकी अनुमानित लागत 1 लाख अमेरिकी डॉलर से अधिक किन्तु 40 मि0 अमेरिकी डॉलर तक हैं	राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मक निविदा के माध्यम से (NCB)	प्रथम दो अनुबन्धों का बिना उनकी लागत को दृष्टिगत रखते हुए विश्व बैंक द्वारा अनुबन्ध के पूर्व परीक्षण किया जायेगां तत्पश्चात उन सभी अनुबन्धों का जिनकी लागत 5 मि0 अमेरिकी डॉलर से अधिक है, विश्व बैंक द्वारा अनुबन्ध के पूर्व परीक्षण किया जायेगां शेष सभी अनुबन्धों का अनुबन्ध के बाद विश्व बैंक द्वारा परीक्षण किया जायेगां [प्रस्तावित परियोजना में लागू नहीं]
	कार्य जिसकी अनुमानित लागत 1 लाख अमेरिकी डॉलर के समतुल्य या उससे कम हैं	शॉपिंग (कम से कम तीन वैध निविदादाताओं में से एक निविदा का चयन)	विश्व बैंक द्वारा अनुबन्ध सम्पादित होने के पश्चात परीक्षण किया जायेगां प्रस्तावित परियोजना में अधिकांश क्रय इसी विधि के माध्यम से किया जायेगा

व्यय श्रेणी	अनुबन्ध की न्यूनतम सीमा	क्रय का प्रकार	विश्व बैंक द्वारा परीक्षण की विधि
सामग्री / उपकरण / मशीन /फर्नीचर/वाहन / स्वामित्व वाले उत्पाद (बीज, पौध, पशुपालन आदि से सम्बन्धित)	अनुबन्ध का अनुमानित मूल्य 3 लाख अमेरिकी डॉलर या उससे अधिकं	अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मक निविदा के माध्यम से (ICB)	प्रथम दो अनुबन्धों का बिना उनकी लागत को दृष्टिगत रखते हुए विश्व बैंक द्वारा अनुबन्ध के पूर्व परीक्षण किया जायेगां तत्पश्चात उन सभी अनुबन्धों का जिनकी लागत 5 मि0 अमेरिकी डॉलर से अधिक है, विश्व बैंक द्वारा अनुबन्ध के पूर्व परीक्षण किया जायेगां शेष सभी अनुबन्धों का अनुबन्ध के बाद विश्व बैंक द्वारा परीक्षण किया जायेगां **[प्रस्तावित परियोजना में लागू नहीं]**
	अनुबन्ध का अनुमानित मूल्य 1 लाख अमेरिकी डॉलर से अधिक किन्तु 3 लाख अमेरिकी डॉलर से कम हैं	राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मक निविदा के माध्यम से (NCB)	प्रथम दो अनुबन्धों का बिना उनकी लागत को दृष्टिगत रखते हुए विश्व बैंक द्वारा अनुबन्ध के पूर्व परीक्षण किया जायेगां तत्पश्चात सभी अनुबन्धों का अनुबन्ध के बाद विश्व बैंक द्वारा परीक्षण किया जायेगां **[प्रस्तावित परियोजना में लागू नहीं]**
	अनुबन्ध का अनुमानित मूल्य 1 लाख अमेरिकी डॉलर से कम या उसके समतुल्य से कम हैं	शॉपिंग (कम से कम तीन वैध निविदादाताओं में से एक निविदा का चयन)	विश्व बैंक द्वारा अनुबन्ध सम्पादित होने के पश्चात परीक्षण किया जायेगां प्रस्तावित परियोजना में अधिकांश क्रय इसी विधि के माध्यम से किया जायेगा
	स्वामित्व वाली सामग्री जिसकी लागत 20	सीधा अनुबन्ध (औचित्य का प्रमाण पत्र देना	विश्व बैंक द्वारा अनुबन्ध सम्पादित होने के पश्चात परीक्षण किया जायेगां

व्यय श्रेणी	अनुबन्ध की न्यूनतम सीमा	कय का प्रकार	विश्व बैंक द्वारा परीक्षण की विधि
सेवायें	सेवायें जिनकी अनुमानित लागत 2 लाख अमेरिकी डॉलर से अधिक हैं	गुणवत्ता व मूल्य आधारित चयन (QCBS)	प्रत्येक श्रेणी के पहले अनुबन्ध तथा ऐसे सभी अनुबन्धों का जिनकी कीमत 2 लाख अमेरिकी डॉलर से अधिक है का विश्व बैंक द्वारा अनुबन्ध के पूर्व परीक्षण किया जायेगां **[एफ0एन0जी0ओ0, पी0एन0जीओ0, वाह्य अनुश्रवण एवं मूल्यांकन हेतु संस्था व जल विज्ञान आदि के अनुश्रवण हेतु]**
	सेवायें जिनकी अनुमानित लागत 2 लाख अमेरिकी डॉलर से कम हैं	गुणवत्ता व मूल्य आधारित चयन (QCBS) / सलाहकर्ता की योग्यता पर आधारित चयन (CQS)/ न्यूनतम मूल्य विधि (LCS) / एकल श्रोत के माध्यम से चयन (SSS) रूचि की अभिव्यक्ति के माध्यम से प्राप्त निवेदनों की छटनी के पश्चात योग्य भारतीय सलाहकारों का चयनं	कृषि व्यवसाय के सभी अनुबन्धों का अनुबन्ध सम्पादित होने के पश्चात परीक्षण किया जायेगां **[कृषि व्यवसाय संगठन के लिए लागू]**
	सेवायें जिनकी अनुमानित लागत 25 हजार अमेरिकी डॉलर से कम हैं	व्यक्तिगत सलाहकार	**[पर्यावरण, सामाजिक विकास, जी0आई0एस0, आई0ई0सी0 व एम0आई0एस0 सलाहकार आदि का कय इस माध्यम से होगा]**

जलागम प्रबन्ध निदेशालय में उत्तराखण्ड विकेन्द्रीकृत जलागम विकास परियोजना फेज-१ में वित्तीय शक्तियों का प्रतिनिधायन

❖ शासनादेश संख्या– 984/490(5)/कृषि एवं जलागम / 200 दिनांक 18.10.2004 द्वारा सामग्री व कार्य के क्रय के सम्बन्ध में निम्नानुसार वित्तीय शक्तियों का प्रतिनिधायन किया गया:–

क्र0 सं0	क्रय का प्रकार	वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड–5 के उप खण्ड –1 में दिये गये प्राविधानों के अनुसार	परियोजना में क्रय की सीमा का प्रतिनिधायन
1	बिना कोटेशन	सामग्री / कार्य ` 2500 तक	**सामग्री** – 500 अमेरिकी डॉलर तक **कार्य** – 2000 अमेरिकी डॉलर तक
2	कोटेशन के द्वारा	` 2500 से अधिक तथा ` 15000 तक सामग्री / कार्य	**सामग्री** – 500 अमेरिकी डॉलर से अधिक तथा 30000 अमेरिकी डॉलर तक **कार्य** – 2000 अमेरिकी डॉलर से अधिक तथा 50000 अमेरिकी डॉलर तक
3	निविदा द्वारा	` 15000 से अधिक की सामग्री / कार्य	**सामग्री** – 30000 अमेरिकी डॉलर से अधिक **कार्य** – 50000 अमेरिकी डॉलर से अधिक
4	स्वामित्व वाली सामग्री	––	जलागम प्रबन्ध निदेशालय द्वारा सीधे अनुबन्ध के आधार पर

सामुदायिक क्रय नियमावली

ग्राम पंचायत स्तर पर क्रय की आवश्यकता

ग्राम पंचायत स्तर पर परियोजना के क्रियान्वयन हेतु निम्न प्रकार से सामग्री कार्यों व सेवाओं के क्रय की आवश्यकता पड़ने का अनुमान हैं

क्र0सं0	कार्य की श्रेणी	सामग्री	कार्य व सेवायें
1	वनीकरण / प्राकृतिक पुनरोत्पादन	बीज, पौध, पॉलीथीन बैग, लोहा, कांटेदार तार, पत्थर, औजार, खम्भे इत्यादिं	कार्यों के निष्पादन व पर्यवेक्षण हेतु कुशल / अकुशल श्रमिकों के क्षमता विकास सम्बन्धी कार्य
2	भूमि एवं जल संरक्षण	पत्थर, बालू, बजरी, सीमेंट, जी0आई0 तार व शीट, जी0आई0 पाईप, पॉली शीट इत्यादिं	
3	पैदल मार्गों का पुनरोद्धार तथा पुलिया निर्माण	रेत, बजरी, सीमेंट, स्थानीय सामग्री, सरिया आदि	

Contd.

क्र0सं0	कार्य की श्रेणी	सामग्री	कार्य व सेवायें
4	लघु सिंचाई	रेत, बजरी, सीमेंट, स्थानीय सामग्री, एच0डी0पी0ई0 पाईप, ड्रिप सिंचाई पाईप, पॉली शीट, स्प्रिंकलर आदिं	कार्यों के निष्पादन व पर्यवेक्षण हेतु कुशल/ अकुशल श्रमिकों के क्षमता विकास सम्बन्धी कार्य
5	उद्यान	उद्यान सम्बन्धी औजार, पॉली हॉउस, पॉली टनल, कांटेदार तार, पॉली शीट, पौध, उच्च उत्पादन क्षमता वाले बीज, जैविक खाद, पॉलीथीन बैग आदिं	
6	कृषि	बीज, जैविक खाद, कृषि औजार आदि	
7	पशुपालन	सांड, घास, पौध, चारा काटने की मशीन, सीमेंट, जी0आई0शीट, रेत, पत्थर व औजार तथा उपकरण आदिं	
8	ऊर्जा संरक्षण	सोलर, बायोगैस संयत्र, पाईन विक्रेट मशीन व चूल्हा इत्यादिं	

क्रय प्रक्रिया में अंतर्सम्बन्ध

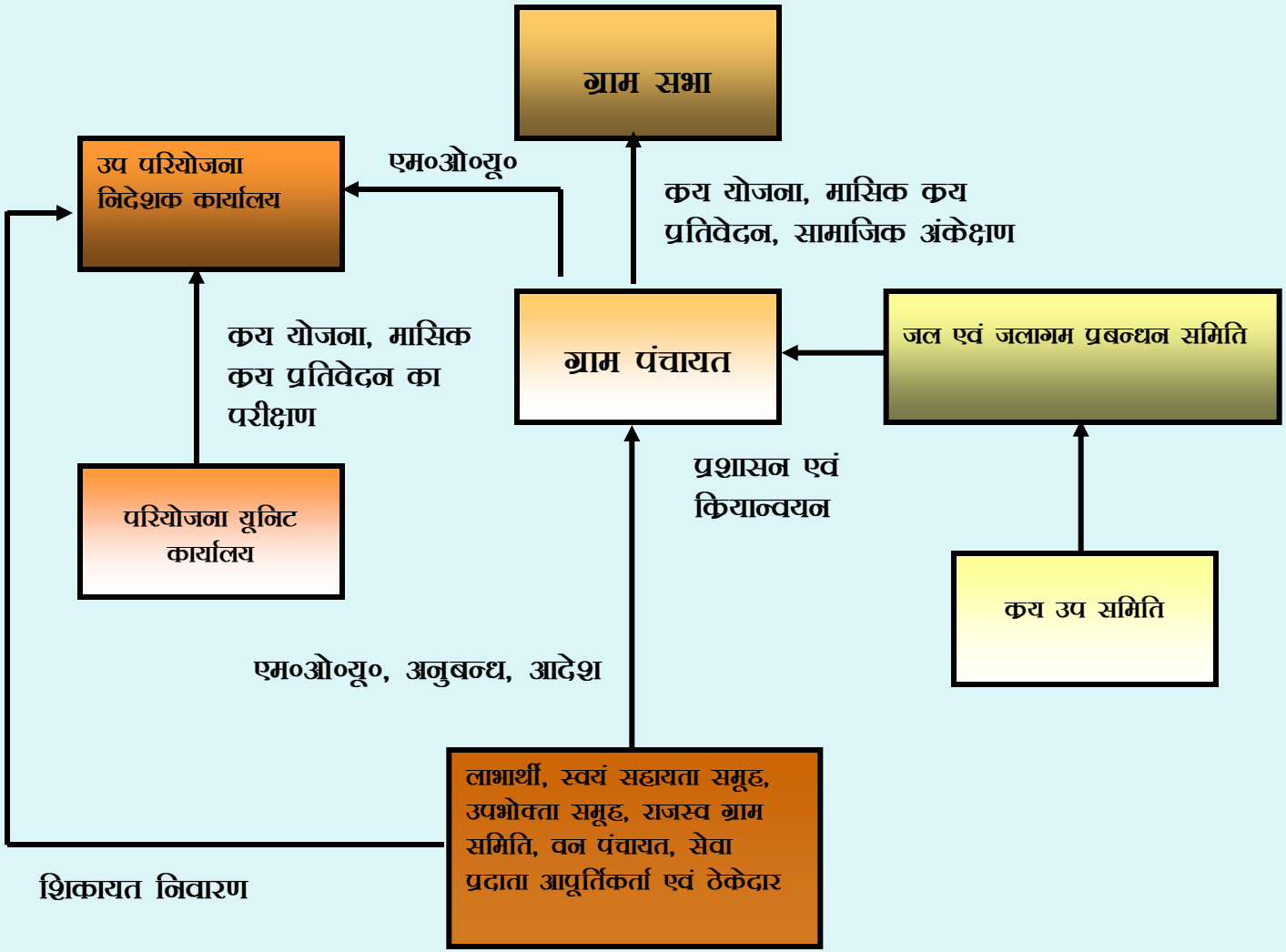

❖ **परियोजना कियान्वयन एजेंसी –** ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम पंचायत परियोजना कियान्वयन एजेंसी है तथा जल एवं जलागम प्रबन्धन समिति कय समिति के रूप में हैं

❖ **ग्राम पंचायत स्तर पर विभिन्न कार्यों के निष्पादन हेतु निम्न एजेंसियां उपलब्ध होंगी–** ग्राम पंचायत, राजस्व ग्राम समिति, उपभोक्ता समूह, वन पंचायत, आजीविका समितियां, कृषक इच्छुक समूह, व्यक्तिगत आदिं

❖ **उपरोक्त एजेंसियों के कार्य करने से इंकार करने पर ग्राम पंचायत द्वारा ठेकेदार को अनुबन्धित किया जा सकता हैं**

❖ **सहभागी अनुश्रवण एवं मूल्यांकन विभिन्न हितलाभ रखने वाले व्यक्तियों के समूहों द्वारा किया जायेगां**

❖ **चार्टड एकाउटेंट फर्म द्वारा ग्राम पंचायत लेखे का अनिवार्य वार्षिक अंकेक्षण किया जायेगां**

धन्यवाद